<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>प्रकरण संख्या–अपीलडि/टीए/6242/2006/श्रीगंगानगर</u>

1.लोकूराम पुत्र लालचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर–6 अनुपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

–अपीलान्ट

बनाम

1.सुखदेवकुमार पुत्र भगवानदास कम्बोज निवासी 2एसटीआर तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

2.राजस्थान सरकार

–रेस्पोडेन्टस्

<u>खण्डपीठ</u>

श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

श्री गणेश कुमार सदस्य

<u>उपस्थित –</u>

श्री अमृतपालसिंह, अधिवक्ता, अपीलान्ट

श्री माधवराजसिंह, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या–1

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 14–09–2021

अपीलान्ट ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 49/2003 बउनवानी लोकूराम बनाम सुखदेवकुमार में पारित व डिक्री निर्णय दिनांक 08–06–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी, घडसाना के न्यायालय में प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टस् के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी को कमीपूर्ति में चक 22 एसएस(ए) के मु0न0 144/11 की 18.10बीघा भूमि आवंटन हुई थी, जिसमें से 04बीघा 10बिस्वा भूमि किसी अन्य को मिल गई और वादी के पास 14बीघा भूमि रह गयी। उक्त रकबा पूर्व में खारिज हो गया था जो दिनांक 6-6-1986 को अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा बहाल कर दिया गया। वादी ने दिनांक 18-01-1982 को मुखत्यारसिंह को उक्त भूमि का मु0आम नियुक्त किया, जिसे दिनांक 15-7-1987 को पंजीकृत प्रल्लेख से निरस्त करवा दिया, जिसकी सूचना उसे दिनांक 14-08-1987 को प्राप्त हो गयी थी। इसके बावजूद मुखत्यारसिंह ने मु0आम न होते हुए भी दिनांक 11-01-1988 को विवादित आराजी का बैयनामा भूपेन्द्रसिंह के पक्ष में करवा दिया, जिसका वादी को कोई ज्ञान नहीं था। 07बीघा भूमि का बैयनामा कराया था शेष 07बीघा भूमि का मु0नामा उसी दिन गमदूरसिंह के पक्ष में कर दिया। वादी द्वारा जो शक्तियां जरिये मु0आम को दी थी, वे सभी शक्तियां दिनांक 15-7-1987 को निरस्त कर दी गयी थी। उसके बाद में विवादित रकबा इकबालसिंह को बैचान कर दिया। यह बैचान दिनांक 9-1-1992 को किया गया और इकबालसिंह ने विवादित रकबा का बैचान दिनांक 1-5-1996 को प्रतिवादी के पक्ष में कर दिया। इस प्रकार उक्त भूमि के बैचान नल एण्ड वाईड थे। इस प्रकार भूपेन्द्रसिंह, गमदूरसिंह, इकबालसिंह व प्रतिवादी के पक्ष में किये गये बैयनामें शुरू से ही शून्य है। वे विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी के रूप में काबिज है। अतः प्रतिवादी को विवादित आराजी कुल 14बीघा से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी के पक्ष में किये गये बैयनामा दिनांक 1-5-1996 को शून्य घोषित करते हुए उसके पक्ष में हुए इन्तकाल संख्या 47 दिनांक 25-6-1996 को निरस्त करते हुए राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में

अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज करने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर पांच तनकियात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने करने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10-4-2003 से वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8-6-2006 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में दिनांक 18-1-1982 को मुखत्यारसिंह को पॉवर आफ अटोर्नी दी गयी थी जो दिनांक 15-7-1987 को जरिये नोटिस निरस्त कर दी और उक्त नोटिस की तामिल भी मुखत्यारसिंह को हो गयी थी जिसकी एडी पत्रावली में संलग्न है उसके बावजूद भी मुखत्यारसिंह ने बहैसियत पॉवर आफ अटोर्नी होल्डर भूपेन्द्रसिंह व गमदूरसिंह को 14बीघा जमीन बेच दी और फिर इन दोनों केतागण ने इकबालसिंह को दिनांक 9-1-1992 को बेच दी और इकबालसिंह ने पुनः दिनांक 9-4-1996 को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को बेची दी, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 1-5-1996 को हुई। इस प्रकार उक्त समस्त संव्यवहार प्रारम्भ से ही वादी के मुकाबले शून्य है और इसलिए राजस्व न्यायालयों को वाद में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं और वादी प्रारम्भ से ही इसका मालिक है।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क किया कि उक्त भूमि का वह दावा दायरी के दिन से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और वादी का कोई कब्जा नहीं है, ना ही वह खातेदार काश्तकार रहा है। वादी अपीलार्थी ने बिना किसी अधिकार के दावा पेश किया है और वादी की ओर से असल नोटिस, उसकी पोस्टल रसीद व एडी रसीद न्यायालय में पेश नहीं की गयी है, बिना उसके यह नहीं माना जा सकता कि मुखत्यारसिंह को मुख्त्यार आम निरस्त करने की सूचना प्राप्त हो गयी हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया है और निर्णय सही पारित किया

गया है। वादी खातेदार ही नहीं है इसलिए उसे बेदखली का दावा करने का अधिकार नहीं है और प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट रिकार्डेड खातेदार है इसलिए उसके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

7. न्यायालय के समक्ष विधिक बिन्दू यह है कि क्या असल दस्तावेज के अभाव में द्वितीय साक्ष्य की अनुमति प्राप्त किये बिना फोटो कापी बतौर दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है ?

8. वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजस्व घडसाना द्वारा दिनांक 10-4-2003 को खारिज किया गया। उसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रथम अपील खारिज करते हुए विद्वान उपखण्ड अधिकारी, घडसाना के निर्णय व डिक्री की पुष्टि की है। तनकी संख्या-1 का विवेचन करते समय विद्वान विचारण न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि मुखत्यारसिंह को मुख्त्यारनामा निरस्त करने की सूचना भिजवाई गयी और उसकी रसीद पर मुखत्यारसिंह का अगुठा निशानी है, जो दावे के साथ पेश की गयी है लेकिन उक्त रसीद असल नहीं होकर फोटो कापी है और दौराने विचारण भी असल पेश नहीं की गयी है और उनका विधिक परीक्षण नहीं करवाया गया है और इन फोटो प्रतियों को किसी प्रकार कानूनी मान्यता नहीं दे सकते और उक्त विवाघक वादी के विरूद्ध तय किये गये। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इन तथ्यों की पुष्टि करते हुए उल्लेख किया गया कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में मुख्त्यारनामा निरस्त होने बाबत् नोटिस, रसीद की फोटो प्रति पेश की गयी, असल पेश नहीं की गयी, ना ही प्रदर्शित करवाया है। इन तथ्यों के अभाव में वादी तनकी साबित करने में असफल रहा है और उक्त तनकी के विनिश्चय की पुष्टि की है।

9. कोई भी दस्तावेज जिसके आधार पर न्यायालय को विनिश्चय करना होता है, वे दस्तावेज असल ही न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है और यदि मूल दस्तावेज साक्ष्य में पेश नहीं किया जाता है तो द्वितीय

साक्ष्य की अनुमति लेकर ही इन दस्तावेजों को पेश किया जा सकता है। धारा 61 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान यहां महत्वपूर्ण है – Proof of contents of documents.- The contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence. किसी भी दस्तावेज को प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य से ही साबित किया जा सकता है और फिर प्राथमिक साक्ष्य में धारा 62 में व द्वितीय साक्ष्य को धारा 63 साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जो निम्न प्रकार है –

62- Primary evidence - primary evidence means the document it-self produced for the inspection of the Court.

62- Secondary evidence- Secondary evidence means and includes-

(1) certified copies given under the provisions hereinafter contained;
(2) copies made from the original by mechanical processes which in themselves ensure the accuracy of the copy, and copies compared with such copies;
(3) copies made from or compared with the original;
(4) counterparts of documents as against the parties who did not execute them;
(5) oral accounts of contents of document given by some person who has himself seen it.

10. मौजूदा प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वाद में पेश किये गये दस्तावेज पोस्टल रसीद और एडी रसीद फोटो प्रति है जो न तो प्राथमिक साक्ष्य हैं और ना ही द्वितीय साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। एडी रसीद पर गुखत्यारसिंह का अंगुठा निशानी होना बताया है लेकिन जब तक एडी असल रसीद न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जाती है तब तक इन तथ्यों का परीक्षण नहीं हो सकता कि उक्त अंगुठा निशानी मुखत्यारसिंह की ही है। किसी भी फोटो कापी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हस्तक्षार, हस्तलेख या अंगुठा चिन्ह को प्रमाणित या सबित नहीं कराया जा सकता। वादी लोकू राम ने अपने बयान में सब–रजिस्टार व मुखत्यारसिंह को नोटिस देना बताया है कि उसकी भूमि पर कोई कार्य नहीं करे, पर उस नोटिस की प्रति व पोस्टल रसीद एवं मुखत्यारसिंह द्वारा प्राप्त नोटिस की एडी रसीद को साक्ष्य में प्रदर्शित ही नहीं कराया है। फोटो कापी पेश कर देने मात्र से वादी अपीलान्ट का यह कथन कि मैने उसको नोटिस दे दिया था और उसको मिल गया, पर्याप्त नहीं है। जिस तथ्य की प्रलेखीय साक्ष्य

होती है उस तथ्य को प्रलेखीय साक्ष्य से ही साबित करना होता है लेकिन वादी अपीलान्ट की ओर से उक्त प्रलेखीय साक्ष्य असल पेश नहीं की गयी, ना ही उसको प्रदर्शित कराया और फोटो कापी के आधार पर बिना प्रदर्शित कराये कोई निष्कर्ष दिया जाना न तो विधि सम्मत् है ना ही उचित है। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तनकी संख्या–1 का विनिश्चय वादी अपीलान्ट के विरूद्ध करने में कोई भूल नहीं की है।

11. तनकी संख्या–2 तनकी संख्या–1 के विनिश्चय पर ही आधारित है। चूकि तनकी संख्या–1 वादी के विरूद्ध तय की गयी है और मुख्त्यारनामा आम किये गये विक्रयपत्र के आधार पर वादी के कोई अधिकार शेष नहीं रहते है और ना ही वादी का वर्तमान में विवादित आराजी पर कोई कब्जा है, ना ही वह रिकार्डेड खातेदार है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी ने यह वाद दिनांक 4–12–1996 को पेश किया है और प्रतिवादी दावा दायरी के पूर्व से ही विवादित आराजी पर काबिज व रिकार्डेड खातेदार है। फौजदारी दस्तावेज पेश करने मात्र से वादी अपीलार्थी को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं, यह कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि दीवानी न्यायालय में दाण्डिक कार्यवाही विसंगत है और फौजदारी कार्यवाही के आधार पर वादी अपीलार्थी को कोई फायदा प्राप्त नहीं होता है।

12. अपीलार्थी का एक तर्क यह भी रहा है कि मुख्त्यारनामा निरस्त होने के कारण बाद के सभी विक्रयपत्र प्रारम्भ से ही शून्य है, इसलिए रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं लेकिन जैसा कि ऊपर विवेचन किया जा चुका है वादी अपीलान्ट द्वारा मुखत्यारसिंह का मुख्त्यारनामा निरस्त कर दिया गया, जिसकी सूचना उसको दे दी गयी थी, ऐसा साबित ही नहीं हुआ और उसके अभाव में वादी को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुए है। इसलिए उक्त तर्क भी सारहीन है और प्रतिवादी वर्तमान में दावा दायरी के समय से ही खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे अतिक्रमी भी नहीं माना जा सकता। वादी द्वारा विक्रयपत्र निरस्त कराने का दावा पेश नहीं किया गया है ना ही घोषणा का दावा पेश किया गया जबकि वादी अपीलान्ट को सिविल न्यायालय के माध्यम से विक्रयपत्र निरस्त करवाने का दावा पेश उचित आदेश प्राप्त करना चाहिए था। तर्क के तौर पर यदि मान लिया जावे कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा राजस्व न्यायालय में ही सुना जा सकता है लेकिन वादी अपीलान्ट की ओर से घोषणात्मक

अनुतोष भी नहीं चाहा गया है। इसलिए वादी इस वाद के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी शेष नहीं रहता है। वादी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत यह अपील उपर्युक्त विवेचनानुसार खारिज किये जाने योग्य है।

13. अतः अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8-6-2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, घडसाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10-4-2003 की पुष्टि करते हुए वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड लौटाया जावे। पर्चा डिक्री तैयार हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य